



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
 पंत्रांक: रु०४०/गोप./प्रयो./२०२३/ १४६४ - १४७।

दिनांक: २७.०७.२०२३

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषय:- विषम सेमेस्टर-२०२३ बी०एस०सी० कृषि / आनर्स कृषि एवं एम०एस०सी०कृषि की प्रयोगात्मक एवं मिर्ड टर्म परीक्षा सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

विषम सेमेस्टर बी०एस०सी० कृषि / आनर्स कृषि एवं एम०एस०सी०कृषि की प्रयोगात्मक परीक्षायें आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षक आमंत्रित कर सम्पन्न करायी जानी है एवं मिर्ड टर्म परीक्षा महाविद्यालय स्तर से सम्पन्न करायी जानी है। प्रत्येक विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न करायें जाने हेतु आन्तरिक परीक्षक सम्बन्धित महाविद्यालय के ही होंगे तथा बाह्य परीक्षक पोर्टल पर महाविद्यालय द्वारा अनुरोध करने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा नामित किये जायेंगे, जिनकी सूचना सम्बन्धित महाविद्यालय को पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जायेगी, इसके उपरान्त ही सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी। समस्त महाविद्यालय दिनांक ०१.०८.२०२३ से २०.०८.२०२३ तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रयोगात्मक एवं मिर्ड टर्म परीक्षा सम्पन्न करा लें, किसी भी स्थिति में तिथि समाप्ति के पश्चात अंकों को ऑनलाइन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वेबसाइट घन्द कर दी जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देशों का पालन भी महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना है—

- प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा अंकपर्ण की दो प्रति तीव्रार की जायेगी तथा उनकी हार्ड कॉपी महाविद्यालय में ही सुरक्षित रखी जायेगी, अंक केथल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे। विश्वविद्यालय को आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय को सम्बन्धित अंकपर्ण की मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी। उन्हें किसी भी माध्यम से विश्वविद्यालय प्रेपित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- सभी प्रकार की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकार्य चुनौती मूल्यांकन से अच्छादित है, अतः प्रयोगात्मक परीक्षा एवं मिर्ड टर्म परीक्षा की उत्तरपुस्तिका सुरक्षित रखी जायें तथा विश्वविद्यालय द्वारा मॉगे जाने पर सत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- परीक्षकों को पूर्व की मॉटि नियमानुसार पारिश्रमिक देय होगा।
- परीक्षा समिति की बैठक दिनांक १७.१२.२००८ में लिये गये निर्णयानुसार प्रयोगात्मक परीक्षा में ८० प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के सील्ड पैकेट पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा मॉगे जा सकते हैं।

भवदीय

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित—

- डा० अमित सिंह, भीडिया प्रभारी।
- उप-कुलसचिव (गोपनीय)।
- प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- प्रभारी ऑनलाइन एजेन्सी।
- निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रपित।
- वै० सहायक, कुलसचिव।
- प्रशासनिक अधिकारी (गोपनीय)।